

रेल मंत्रालय और इसके अधीनस्थ कार्यालयों की लेखापरीक्षा सीएजी के (कर्तव्य, शक्तियाँ और सेवा की शर्तें) अधिनियम 1971 के खंड 13 के साथ पठित भारत के संविधान की धारा 149 और 151 के अंतर्गत और लेखापरीक्षा और लेखा पर सीएजी नियामकों के अनुसार आयोजित की गई।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 (1) के अंतर्गत राष्ट्रपति को प्रस्तुत करने के लिए 31 मार्च 2014 को समाप्त वर्ष के लिए लेखापरीक्षा प्रतिवेदन दो भागों में अर्थात् भाग I और भाग II तैयार किया गया है।

इस लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (भाग II) में वर्ष 2013-14 के दौरान की गई चार समीक्षाओं सहित 13 लेखापरीक्षा अवलोकन शामिल हैं। पूर्व वर्षों से संबंधित मामले, जिन्हें विगत प्रतिवेदनों में शामिल नहीं किया जा सका और इसके 2013-14 से बाद की अवधि से संबंधित मामलों को भी शामिल किया गया है, जहां भी आवश्यक समझा गया।

प्रतिवेदन में प्रयुक्त संक्षिप्त रूप

आई.आर.	भारतीय रेलवे
म.रे.	मध्य रेलवे
पू.रे.	पूर्व रेलवे
पू.म.रे.	पूर्व मध्य रेलवे
पू.त.रे./पू./तट	पूर्व तट रेलवे
उ.रे.	उत्तर रेलवे
उ.म.रे.	उत्तर मध्य रेलवे
उ.पू.रे.	उत्तर पूर्व रेलवे
उ.सी.रे./उ.पू.सी.रे.	उत्तरपूर्व सीमांत रेलवे
उ.प.रे.	उत्तर पश्चिम रेलवे
द.रे.	दक्षिण रेलवे
द.म.रे.	दक्षिण मध्य रेलवे
द.पू.रे.	दक्षिण पूर्व रेलवे
द.पू.म.रे.	दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे
द.प.रे.	दक्षिण पश्चिम रेलवे
प.रे.	पश्चिम रेलवे
प.म.रे.	पश्चिम मध्य रेलवे
आर.पी.यू.	रेल उत्पादन इकाईयां
डी.एल.डब्ल्यू	डिजल लोकोमोटिव वर्क्स
सी.एल.डब्ल्यू	चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स
आई.सी.एफ	एकीकृत कोच फैक्ट्री
आर.सी.एफ	रेल कोच फैक्ट्री
डी.एम.डब्ल्यू	डिजल आधुनिकीकरण वर्क्स
पी.ए.सी.	लोक लेखा समिति
एफ.एंड.सी.ए.ओ.	वित्त सलाहकार और मुख्य लेखा अधिकारी